में जारी हुए

9-3-18 यह इजराय श्री मनोज शर्मा Adv ने पेश की गई रिपोर्ट अहलमद का अवलोकन किया गया / पालना हेतु तहसीलदार बामनवास को लिखा जावे पत्रावली दिनांक 30-4-2018 को पेश हो /

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

30/4/18 पक्षकारान से चर्चा / समझाईश करने हेतु प्रकरण को राजस्व लोक [illegible] शिविर मे रखा जावे। संबंधित पक्षकार [illegible] व विद्वान अभिभाषक को सुचना पत्र जारी [illegible] दिनांक 9.6.18 को राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुकाम बिचपुरी पर पेश हो।

30/7/18 उभय पक्ष उपस्थित। P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त है / अवकाश पर है / पद रिक्त है। पत्रावली स्वतः / आदेशानुसार दिनांक 10-9-18 को पेश हो।

रीडर

10/9/18 पत्रावली पेश हुई / वकील डिक्रीदार उप० / वकील द्वारा अवगत कराया की इजराय की पालना हो चुकी है अतः पत्रावली को ड्रोप की जावे वकील डिक्रीदार को सुना गया / इजराय की पालना हो चुकी है अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे

Not Press

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बामनवास
प्रमाणित प्रतिलिपि डिक्री मु०नं० 14/18
उनवान रमाकान्त V/S लैण्ड होल्डर
ता०रजु .... ता०निर्णय/आगामी पेशी 6/3/18

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. रमाकान्त पुत्र स्व. प्रेमचंद उम्र 40 साल,
2. लक्ष्मीकान्त पुत्र स्व. प्रेमचंद उम्र 37 साल,

दोनों जाति ब्राह्मण निवासी बिचपुरी, तहसील बामनवास, वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास, प्रतिवादी

वाद पत्र बावत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 14/2018

वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादी स्वयं उपस्थित, यह वाद आज दिनांक 6./3/2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी आराजी हाल खसरा नम्बर 1792 रकवा 0.73 हैक्टेयर स्थित ग्राम बाढ़ रघुनाथपुरा तहसील बामनवास में किस्म के बारे में हो रहे इन्द्राज गैरमुमकिन नले के स्थान पर उसे संशोधित करते हुए बंजड़ दर्ज करें तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजी के संदर्भ में वादीगण के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 6./3/2018 को जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)
(रामकिशोर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक			
		इजराय हुक्मनामा	
योग		मुतफर्रिक	
		योग	

प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स०बा०)